ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा सरकार

ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा, 30 बेज बिल्डीग, सैक्टर 17 चण्डीगढ

Office Phone: 0172-2705535 ई.मेल drd@hry.nic.in

नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं आर्गेनिक मैन्योर कार्यक्रम के अंतर्गत बायोगैस टर्नकी वर्कर, ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियन, बायोगैस मित्र एवं बायोगैस मिस्त्री से आवेदन हेतु।

हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग उपरोक्त कार्यक्रम को राज्य में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए) के द्वारा कियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना भारत सरकार के निर्देश दिनांक 30.05.2018 के अंतर्गत लागू की जा रही है। इस योजना के दिशानिर्देश अनुसार वर्णित टर्न की जॉब स्कीम - 2 के आधार पर राज्य में छोटे घरेलु 1 से 25 घन मिटर बायोगास प्लांट के निर्माण की प्रक्रिया को आरम्भ करने के प्रयोजन से राज्य नोडल एजेंसी/ खादि एवं विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन/ बायोगास डेव्लपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर/ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानो के द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों का जिलेवार पैनल बनाये जाने के लिए उनसे आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इन वर्कर्स द्वारा पहले किसी भी राज्य अथवा हरियाणा में बायोगास प्लांट निर्माण का अनुभव आवश्यक है। यह विभाग ऐसे अनुभवी वर्कर्स का एक पैनल तयार कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्म से पूरे राज्य में छोटे घरेलु बायोगास प्लांट स्थापित करेगा।

बायोगैस टर्न की वर्कर, ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियन, बायोगैस मित्र एवं बायोगैस मिस्त्री के रूप में इस विभाग में पैनल हेतु आवेदन विज्ञापन अनुसार अंतिम तारीख तक कर सकते है।

पैनल हेतु अन्य अनुदेश

1. राज्य नोडल एजेंसी / खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन / बायोगैस डवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर/ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानो के द्वारा प्रशिक्षित संदर्भ व्यक्ति ही आवेदन के पात्र होगे।

2. आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओ पर मांगी सूचना अनुसार आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

3. पैनल बनने उपरांत नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं ऑर्गेनिक मैन्योर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कार्य आवंटन की स्वीकृति संबंधित जिला के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया जावेगा और इस बारे फीस का भुगतान स्कीम में दी गई शर्तो व निर्धारित मापदंड अनुसार जिला अभिकरण द्वारा ही किया जावेगा।

4. ऊपर वर्णित निर्धारित जगहों से प्रशिक्षण व इस क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव बारे दस्तावेज जमा करवाने होंगे जोकि स्वंय सत्यापित हो। इसके अलावा अन्य कागजात जैसे शिक्षा व प्रशिक्षण के सबूत आदि भी स्वंय सत्यापित हो, आवेदन पत्र हस्ताक्षरित हो एवं स्वंय फोटो सत्यापित हो।

5. वर्कर ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।

6. कार्य पूर्ण होने पर स्कीम अनुसार पेमेंट जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा की जाएगी।

7. इस योजना में बायोगास प्लांट को लगाए जाने हेतु टर्नकी वर्कर, ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियन, बायोगैस मित्र एवं बायोगैस मिस्त्री को फिस स्कीम के नियमअनुसार होगी जोकि नियमलिखित है:-

बायोगैस संयंत्र आकार	बायोगैस संयंत्र प्रकार	टर्नकी जॉब शुल्क-	5 साल के लिए टर्नकी फीस - की किस्त की प्रक्रिया
1 से 10 घन मी. के बीओगस प्लान्ट	दीन बधु माडल व फलोटिग गैस हाल्डर KVIC टाईप बायोगैस प्लान्ट	2500/- प्रति प्लान्ट	• प्रथम किस्त- 1500/- (समापन प्रमाण पत्र व लाभार्थी की सहमति पत्र प्राप्त होने पर) • f}rh; किस्त -500/- तीन वर्ष बाद • तीसरी किस्त -500/- (5 वर्षों बाद)
15 से 25 घन मी. के बीओगस प्लान्ट	दीन बधु माडल व फलोटिग गैस हाल्डर KVIC टाईप बायोगैस प्लान्ट	4500/- प्रति प्लान्ट	• प्रथम किस्त- 3000/- (समापन प्रमाण पत्र व लाभार्थी की सहमति पत्र प्राप्त होने पर) • f}rh; किस्त -1000/- तीन वर्ष बाद • तीसरी किस्त -500/- (5 वर्षों बाद)
1 से 25 घन मी. के बीओगस प्लान्ट	प्री. फेब्रीकेटेड बीओगस प्लान्ट (FRP / HDPE / PVC as approved by MNRE)	1000/-प्रति प्लान्ट	प्रमाणपत्र और संतोषजनक संचालन पूरा होने के बाद
वैग टाईप डाइजेस्टर वाले बायोगैस प्लान्ट		शून्य	

8. ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा बिना किसी कारण बताए विज्ञापन प्रक्रिया को रद्द कर सकता है और आवेदक द्वारा किए गए किसी भी खर्च के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।